पत्रांक– 11 न०वि० अभि०(को०) 93/2018 1359 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, झाझा

पटना, दिनांक– 29/10/18

विषयः– नगर पंचायत, झाझा अन्तर्गत सम्राट अशोक भवन के निर्माण कार्य के निविदा के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–858 दिनांक–23.10.2018 एवं इस कार्यालय का पत्रांक–1279 दिनांक–05.10.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रांक–1279 दिनांक–05.10.2018 के आलोक में आपके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विषयांकित योजना की निविदा, तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र इस कार्यालय से अनुमोदित किये बिना ही कर दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि विषयांकित योजना का प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु कार्यपालक अभियंता, डुडा, जमुई के माध्यम से इस कार्यालय में उपलब्ध कराया जाय। इसके पश्चात् ही निविदा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

विश्वासभाजन

29/10/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\V N File 2014\Jamui\Jamui Letter.docx